

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक / बजट / डी / 01 / 4396 / 2018-19 / 71
प्रति,

भोपाल, दिनांक: - 28-05-18

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, 1. नईगढी, 2. रायपुर कर्चु (रीवा), 3. मुगांवली (अशोकनगर), 4. घटिया (उज्जैन), 5. मुरार (ग्वालियर), 6. सिवनी मालवा, 7. बाबई (होशंगाबाद), 8. फंदा (भोपाल), 9. कुरई, 10. देवरी, 11. जैसीनगर (सागर), 12. मानुपुर (उमारिया), 13. जबलपुर।

विषय:- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 4396-11-009 में आवंटन स्वीकृति के संबंध में।

—00—

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 4396-11-009 अंतर्गत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में निम्नुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बजट शीर्ष / मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ के नाम	स्वीकृत राशि
27 शिक्षा (प्रा. शिक्षा) 2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 101 राजकीय प्रा. वि. 4396 सरकारी प्रा. विद्यालय 11 वेतन भत्ते 8888	1. श्री चंद्रभूषण प्रसाद पाण्डे, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला, कसियार, रीवा।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नईगढी रीवा। 3222003103	61,363
	2. श्री खुशीद अली, सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला, बरवाह, अशोकनगर।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मुगांवली अशोकनगर। 4722003011	1,08,161/-
V मतदेय 009 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	3. श्री दिनेश चंद्र व्यास, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय नानाखेड़ी, उज्जैन।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी घटिया जिला उज्जैन। 4302003007	97,000/-
	4. श्री अंजूला खरे, प्र.अ. शासकीय प्राथमिक विद्यालय, ठाटीपुर मुरार, ग्वालियर।	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मुरार जिला ग्वालियर। 1402003026	2,50,000/-
	5. श्री कुण्डलाल सोनी, से.नि. सहायक शिक्षक, संकुल उमावि नेहरू बानापुरा, होशंगाबाद।	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सिवनी मालवा होशंगाबाद। 1652003007	1,11,366/-
	6. स्व.श्रीमती मंजूलता शर्मा, सहायक शिक्षिका, शासकीय प्राथमिक शाला, पिपलिया पेदेखां भोपाल।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, फंदा जिला भोपाल। 0502003006	93,627/-
	7. श्री अजीत कुमार जैन, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला, शब्दा बरोदिया	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, खुरई जिला सागर। 3352003009	1,00,000/-
	8. श्री शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला मुआरखास,	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी देवरी जिला सागर। 3332003012	87,422/-

27	शिक्षा (प्रा. शिक्षा)	9. श्री पवन कुमार जैन, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला बोहा, सागर।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जैसीनगर जिला सागर। 3302003005	1,34,541+ 31,070 + 8,15,743 + 1,21,919 = 11,03,243/-
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारंभिक शिक्षा			
101	राजकीय प्रा. वि.	10. श्री बारेलाल शर्मा, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, सौनौरा, रीवा।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रायपुर कर्चु जिला रीवा। 3202003037	2,50,000/-
4396	सरकारी प्रा. विद्यालय			
11	वेतन भत्ते			
8888			
V	मतदेय			
009	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	11. धर्मदास गुप्ता, प्रधानाध्यापक, शासकीय हाईस्कूल सिगुड़ी, मानपुर, उमारिया।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मानपुर जिला उमारिया। 4402003009	1,70,852/-
		12. श्री अरविंद कुमार दीवान, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला बाबई, होशंगाबाद।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बाबई जिला होशंगाबाद। 1602003004	43,625/-
		13. श्रीमती सुषमा जैन, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला गढा क. 1, जबलपुर	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जबलपुर। 1802003068	3143/- + 1,216/- = 4359/-
कुल योग (चौबीस लाख इक्यासी हजार अड़तालीस रुपये मात्र)			कुल योग:-	24,81,048/-

उपरोक्त आवंटन निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

1. प्रकरणों में भेजे गये पत्रों की छायाप्रति का मिलान मूल प्रतियों से आहरण संवितरण अधिकारी करें।
2. म.प्र सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम- 1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।
4. राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।
स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।

“आयुक्त द्वारा स्वीकृत “

(संजय कुमार)
संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण, म.प्र.।

क्रमांक/बजट/डी/01/4396/2018-19/72

भोपाल,दिनांक:-28-5-2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
2. जिला कोषालय अधिकारी - रीवा, अशोकनगर, उज्जैन, ग्वालियर, होशंगाबाद, भोपाल, सागर, उमरिया, जबलपुर मध्यप्रदेश।
3. जिला शिक्षा अधिकारी - रीवा, अशोकनगर, उज्जैन, ग्वालियर, होशंगाबाद, भोपाल, सागर, उमरिया, जबलपुर मध्यप्रदेश।
4. सहायक संचालक (बजट) की ओर बजट फीड किए जाने हेतु।
5. संबंधित कर्मचारीगण स.क्र.01 से 13 (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण, म.प्र.।